

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक-

विषय :- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर-तारामंडल, पटना के परिसर में एस्ट्रो पार्क अन्तर्गत कुल ग्यारह प्रदर्शों के स्थापना के लिए आवश्यक असैनिक निर्माण कार्य हेतु कुल रु० 10,39,400.00 (दस लाख उनचालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख -सह- अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5933(भ)अनु०, दिनांक-30.06.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक-30.07.2026 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर-तारामंडल, पटना के परिसर में एस्ट्रो पार्क अन्तर्गत कुल ग्यारह प्रदर्शों के स्थापना के लिए आवश्यक असैनिक निर्माण कार्य हेतु कुल रु० 10,39,400.00 (दस लाख उनचालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय, भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या-03 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्यशीर्ष -2059- लोक निर्माण कार्य, उप मुख्यशीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -053- रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष -0018- इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), के अधीन विषयशीर्ष "27 02-अनुरक्षण एवं मरम्मत" में उपबंधित राशि से किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड-03-2059800530018 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना होंगे।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना से की जायेगी।

6. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी विभाग के लिए बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन राशि तक सीमित रहेगा।

7. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य कराने की संयुक्त जिम्मेदारी, परियोजना निदेशक, बिहार काउंसिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
8. राशि की निकासी एवं व्यय, बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- वि. प्रा. एवं त० शि० वि० (iv) योजना -43/2020(पार्ट-1) के पृ०-40/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कुमार सिद्धार्थ)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.एवं त०शि०वि०(iv)योजना-43/2020(पार्ट-1)- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.एवं त०शि०वि०(iv)योजना-43/2020(पार्ट-1)- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.एवं त०शि०वि०(iv)योजना-43/2020(पार्ट-1)- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, बी०सी०एस०टी० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.एवं त०शि०वि०(iv)योजना-43/2020(पार्ट-1)- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.एवं त०शि०वि०(iv)योजना-43/2020(पार्ट-1)- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- वि.प्रा.एवं त०शि०वि०(iv)योजना-43/2020(पार्ट-1)- 4889 /पटना, दिनांक- 01.09.26

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी(एम०)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव